

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2006-07

Report  Junction.com



सिंडिकेटबैंक
Syndicate Bank
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

Head Office: Manipal - 576 104

Your faithful & friendly financial partner

प्रधान कार्यालय : मणिपाल - 576 104, भारत

नैगम कार्यालय : गांधी नगर, बेंगलूर - 560 009, भारत

Head Office: Manipal - 576 104, India

Corporate Office: Gandhinagar, Bangalore - 560 009, India

www.syndicatebank.in

Toll Free : 1800 44 66 55



सिंडिकेटबैंक
Syndicate Bank

Head Office: Manipal - 576 104
Your faithful & friendly financial partner

प्रधान कार्यालय: मणिपाल - 576 104
Head Office: Manipal - 576 104

विषय - सूची CONTENTS

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2006 - 2007

पृष्ठ Page	पृष्ठ Page
● अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	3
● सूचना Notice	6
● निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	11
● नैगम अभिशासन पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	30
● लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन Auditors' Report	52
● तुलन-पत्र Balance Sheet	54
● लाभ-हानि लेखा P & L Account	55
● लेखों की अनुसूचियाँ Schedules to Accounts	56
● महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ Significant Accounting Policies	62
● लेखा संबंधी टिप्पणियाँ Notes on Accounts	65
● नकदी उपलब्धता विवरण Cash Flow Statement	75
● समेकित तुलनपत्र Consolidated Balance Sheet	77
● सिंडिकेट सर्विसेज लिमिटेड SyndBank Services Limited	100
● ईसीएस संबंधी परिपत्र Circular regarding ECS	111
● प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	115
● फार्म 2बी Form 2B	117
● उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	119

निदेशक मंडल

BOARD OF DIRECTORS

सी. पी. स्वर्णकार

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

C. P. Swarnkar

Chairman & Managing Director

जॉर्ज जोसेफ

कार्यपालक निदेशक

George Joseph

Executive Director

एम दीन दयालन
के. सीतारामु
सुरेश कुमार रुस्तगी
दिनकर एस. पुंजा
कंवलजीत सिंह ओबेरॉय
विनय कुमार सोरके
श्रीमती शोभा ओजा
एम. भास्कर राव
एआर. नागप्पन
भूपिन्दर सिंह सूरी

निदेशक

M. Deena Dayalan
K. Seetharamu
Suresh Kumar Rustagi
Dinkar S. Punja
Kawaljit Singh Oberoi
Vinay Kumar Sorake
Ms. Shobha Oza
M. Bhaskara Rao
AR Nagappan
Bhupinder Singh Suri

Directors

लेखा-परीक्षक

मेसर्स श्रीराममूर्ति एंड कंपनी
मेसर्स वी. सौंदराजन एंड कंपनी
मेसर्स एल. एस. नलवाया एंड कंपनी
मेसर्स वी. के. धिंगरा एंड कंपनी
मेसर्स बी. पी. राव एंड कंपनी
मेसर्स जी. वेणुगोपाल कामत एंड कंपनी

Auditors

M/s Sriramamurthy & Co.
M/s V. Soundarajan & Co.
M/s L. S. Nalwaya & Co.
M/s V. K. Dhingra & Co.
M/s B. P. Rao & Co.
M/s G. Venugopal Kamath & Co.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लॉट सं. 17 से 24
विठ्ठलराव नगर, माधपुर
हैदराबाद - 500 081
दूरभाष : 040-234 20815 से 23420820
फैक्स: 040-23420814

Registrars & Share Transfer Agents

M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24
Vithalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081
Ph.: 040-23420815 to 23420820
Fax: 040-23420814

अध्यक्ष का वक्तव्य

मुझे आपके समक्ष 31 मार्च, 2007 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक के निष्पादन की खास उपलब्धियों को प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

सार्वभौमिक वित्तीय बाजार की परिस्थितियाँ वर्ष 2006-07 के दौरान अनुकूल रही हैं और इससे समष्टि आर्थिक नीति का ढाँचा और अधिक उन्नतिशील हुआ है। सार्वभौमिक अर्थव्यवस्था ने राजकोषीय वर्ष 2007 के दौरान अस्थिरता का दौर झेला है और सार्वभौमिक वृद्धि की दर 2006 के 5.4 प्रतिशत के मुकाबले 4.9 प्रतिशत पर टिक गई है। सार्वभौमिक सकल घरेलू उत्पाद में ढलान का कारण विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं यथा, संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी और इटली की अर्थव्यवस्थाओं में कमी का होना है। भारत और चीन की उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं से वृद्धि की गति को मजबूती मिली है लेकिन संयुक्त राज्य के आवास बाजार में आई तीव्र कमी, ब्याज दरों में हुई मजबूती और मुद्रास्फीति के बढ़ते हुए दबाव ने सार्वभौमिक वित्तीय स्थिरता के लिए संकट खड़ा किया है।

राजकोषीय वर्ष 2007 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद के मामले में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हासिल करके बहुत ही अच्छा निष्पादन दर्शाया है। इस विकास का प्रमुख स्रोत विनिर्माण करने वाले और सेवा क्षेत्र हैं जिन्होंने वर्ष 2006-07 के दौरान दो अंकों में वृद्धि दर क्रमशः 11.3 प्रतिशत तथा 11.00 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज कराई है।

प्रणाली में नकदी की स्थिति वर्ष 2006-07 के दौरान कमोवेश सुविधाजनक रही है, अपवादस्वरूप राजकोषीय वर्ष 2006-07 की पहली छमाही को छोड़कर जब कुछ तंगी का अनुभव किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान मुद्रा आपूर्ति में 20.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि इस क्षेत्र में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रक्षेपण 15.5 प्रतिशत था।

वर्ष 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशि में 23.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और ऋण में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गैर-खाद्य ऋणों में 28.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 31 मार्च 2007 को रु. 18,76,672 करोड़ हो गई है।

विदेशी मामले में, आयात में 29.3 प्रतिशत की वृद्धि ने निर्यात में हुई 23.9 प्रतिशत की वृद्धि को पीछे ढकेल दिया है और इससे 2006-07 के दौरान यूएसडी 56.7 बिलियन का एक बड़ा व्यापार घाटा हुआ है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ बढ़कर यूएसडी 199.2 बिलियन हो गई हैं जो वर्ष 2006-07 के दौरान 31.3% की वृद्धि दर्शाती हैं।

उपयुक्त पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006-07 के दौरान आपके बैंक ने सार्वभौमिक कारोबार के मामले में 44.03 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करके अत्यंत प्रशंसनीय निष्पादन प्रदर्शित किया है। वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक के निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :

- आलोच्य अवधि के दौरान सार्वभौमिक जमा राशियों में 46.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और सार्वभौमिक अग्रिम में 40.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक के परिचालन लाभ में जोरदार वृद्धि हुई है जो 2005-06 के रु. 1,008 करोड़ से बढ़कर 2006-07 के दौरान रु. 1,383 करोड़ हो गया है और इस तरह से 37.16% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उल्लेखनीय वृद्धि तब हासिल की गई है जबकि बड़ी संख्या में शाखाओं को सीबीएस के रूप में परिवर्तित करने पर लागत के रूप में खर्च की गई लगभग रु. 40 करोड़ की रकम को भी इसके साथ आत्मसात करना पड़ा है।
- निवल लाभ में 33.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2005-06 के रुपये 536 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2006-07 के दौरान रुपये 716 करोड़ हो गयी है।
- ब्याज आय में 49.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2005-06 के रु. 4,050 करोड़ से बढ़कर 2006-07 के दौरान रु. 6,040 करोड़ हो गई है जबकि शुल्क आधारित आय 2005-06 के रु. 457 करोड़ से बढ़कर 2006-07 के दौरान रु. 510 करोड़ हो गई है।
- बैंक का जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सी आर एआर) 31 मार्च, 2007 को 11.74 प्रतिशत रहा है जो इसके लिए निर्धारित 9 प्रतिशत की तुलना में काफी ऊपर है।
- निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियों का अनुपात 2005-06 के 0.86 प्रतिशत से घटकर 2006-07 के दौरान 0.76 प्रतिशत हो गया है।
- आस्तियों पर प्रतिलाभ वर्ष 2006-07 के दौरान पिछले वर्ष के 0.91 प्रतिशत पर टिका हुआ है।

CHAIRMAN'S STATEMENT

I have immense pleasure in placing before you the highlights of the performance of the Bank for the year ended 31st March, 2007.

Global financial market conditions remained benign during 2006-07 exhibiting more resilient macroeconomic policy framework. Even after bouts of volatilities experienced by global economy during the fiscal 2007 global growth rate is firm at 4.9 percent compared with 5.4 percent in 2006. The slowdown in global GDP is due to downturn in some of the major economies of the world viz., United States, Germany and Italy. Emerging market economies like India and China continue with strong growth momentum but the sharp slowdown in US housing market, hardening of interest rate and build up of inflationary pressure are posing threat to global financial stability.

During the fiscal 2007, Indian economy performed quite well by registering a GDP growth of 9.2%. The main drivers of growth have been manufacturing and services sector, which have recorded double-digit growth of 11.3 percent and 11.0 percent respectively during the year 2006-07.

The liquidity in the system remained more or less comfortable throughout the year 2006-07 except some tightness witnessed in the first half of fiscal 2006-07. The money supply grew by 20.8 percent during the financial year, which was well above the RBI's projection of 15.5 percent.

The aggregate deposits of SCBs grew by 23.0 percent and credit grew by 27.6 percent during 2006-07. Non-food credit grew by 28.0 percent to Rs.18,76,672 crore as at 30th March, 2007.

On the external front, import growth at 29.3 percent outstripped the export growth of 23.9 percent leading to a wider trade deficit of USD 56.7 billion during 2006-07. Foreign exchange reserves increased to USD 199.2 billion representing a growth of 31.3 percent in 2006-07.

Against this background, your bank has performed commendably, registering a growth of 44.03 percent in global business during the financial year 2006-07. The highlights of bank's performance during 2006-07 are outlined below:

- Global deposits grew by 46.64 percent and global advances recorded a growth of 40.31 percent during the period.
- Bank's operating profit improved significantly from Rs.1008 crore in 2005-06 to Rs.1383 crore in 2006-07 registering a growth of 37.16 percent. The considerable growth is achieved despite absorbing the cost of around Rs.40 crore spent on accelerated CBS conversion.
- Net Profit increased by 33.47 percent from Rs.536 crore in 2005-06 to Rs. 716 crore in 2006-07.
- Interest income grew by 49.12 percent to move up from Rs. 4050 crore in 2005-06 to Rs. 6040 crore in 2006-07, whereas the fee based income increased from Rs. 457 crore in 2005-06 to Rs. 510 crore in 2006-07.
- Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of the Bank stood at 11.74 percent as at 31st March, 2007 well above the stipulated mark of 9 percent.
- Ratio of net NPA percentage to net advances declined from 0.86 percent in 2005-06 to 0.76 percent in 2006-07.
- Return on assets in 2006-07 maintained at the previous year level of 0.91 percent.

- कर्मचारी उत्पादकता का पैमाना प्रति कर्मचारी कारोबार से लगाया जाता है जो 31 मार्च 2006 के रु. 3.48 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2007 को रु. 4.89 करोड़ हो गया है।

बैंक का हमेशा से इस बात में विश्वास रहा है कि वह ग्राहकों कि जो बढ़ती हुई अपेक्षाएं हैं उससे भी अधिक उनके लिए करे। ग्राहक सेवा में निरंतर सुधार करने की दृष्टि से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कई प्रकार के नवोन्मेषी उत्पादों यथा, पिग्मी प्लस 2007, सिंड 400 प्लस और सिंड 500 प्लस, सिंड जय किसान, सिंड विद्यार्थी, सिंड सीनियर, सिंड निवास प्लस, सिंड ड्राइवर आदि की शुरुआत की है।

राजकोषीय वर्ष 2007 के दौरान ग्राहक आधार को सुविस्तृत करने की दृष्टि से बैंक ने कई अभियान शुरू किए हैं, जैसे, एक मिलियन खाता खोलने का अभियान, प्रतिमाह प्रतिशाखा 150 खाता खोलने का अभियान और चालू खाता अभियान आदि। इन अभियानों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बैंक का ग्राहक आधार 2005-06 के 17 मिलियन की तुलना में 2006-07 के दौरान बढ़कर 19 मिलियन से अधिक हो गया है।

वित्तीय समावेशन पर पर्याप्त जोर दिया गया है, बैंक ने कुछ चुने हुए गांवों के 8.76 लाख परिवारों के अभी तक 4.96 लाख "नो फ्रिल्स" बचत बैंक खाते खोले हैं और इस प्रकार से 1552 गांवों में शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन को हासिल कर लिया गया है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को हासिल करने की दृष्टि से बैंक ने अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), मिजोरम (ऐजवाल) और नागालैण्ड (दिमापुर) में अपनी शाखाएं खोली हैं।

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वह 30 मार्च, 2007 को रु. 18441 करोड़ हो गया है। कृषि अग्रिमों में आलोच्य अवधि के दौरान 37% की वृद्धि हुई है और वह रु. 5871 करोड़ से बढ़कर रु. 8050 करोड़ हो गया है।

बैंक बड़ी तेजी से सीबीएस/एटीएम नेटवर्क का दायरा बढ़ा रहा है। राजकोषीय वर्ष 2007 के दौरान 590 केन्द्रों पर स्थित 979 शाखाओं को सीबीएस किया गया और वर्तमान में 801 केन्द्रों पर स्थित 1508 शाखाएं सीबीएस हो गई हैं जो बैंक के कुल कारोबार का 90 प्रतिशत भाग संभाल रही हैं। एटीएम की संख्या 2005-06 में 326 थी, जो वर्ष 2006-07 के दौरान बढ़कर 701 हो गई हैं। बैंक के ग्लोबल डेबिट-सह-एटीएम कार्ड की संख्या 14 लाख से अधिक है। 31-3-07 तक बैंक ने 53,860 क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं।

बड़े बैंकों में सर्वोत्कृष्ट कोर बैंकिंग समाधान प्रस्तुत करने वाले बैंक के रूप में बैंक को एशियन बैंकर आइ टी कार्यन्वयन पुरस्कार 2006 प्रदान किया गया है, यह इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल सर्वोत्तम ढंग से किया गया है। अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहक सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के निमित्त आइ.डी.आर.बी.टी., हैदराबाद से बैंक को विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक और नई पहल की है, वह है वीडियो कॉन्फरेन्सिंग की, जिसका उपयोग कार्यपालकों की बैठकों तथा एस.एम.एस. संदेशों को भेजने के लिए किया जाता है। यह एक प्रभावशाली एवं द्रुत संप्रेषण माध्यम है और इस पर लागत भी कम आती है।

अस्तियों की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आवास ऋणों को तत्परतापूर्वक एवं तीव्र गति से संसाधित करने हेतु बैंक ने बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई केन्द्रों पर सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त किए हैं।

बैंक ने अनर्जक अस्तियों के स्तर के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ऋण मंजूरी के संबंध में ऋण अनुप्रवर्तन एवं समीक्षा के लिए एक व्यापक प्रणाली निरूपित की गई है। वसूली के लिए अपनाई गई रणनीति क्षेत्रवार तैयार की गई है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु उन पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके।

विदेशी विनिमय के क्षेत्र में 31 मार्च, 2007 को कुल पण्यवर्त रु. 5,94,983 करोड़ है जिस में वर्षानुवर्ष की दृष्टि से 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, निवेशों की बिक्री से लाभ के मामले में वर्ष 2005-06 के रु. 133 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2007 को रु. 141 करोड़ अर्जित किए गए हैं।

- Staff productivity measured in terms of Business Per Employee rose to Rs. 4.89 crore as on 31st March, 2007 from Rs. 3.48 crore as on 31st March, 2006.

The bank has always believed in constantly surpassing the ever-growing customer expectations. In its constant endeavor to bring improvement in customer service, bank has introduced a number of innovative products viz., Pigmy Plus 2007, Synd 400 plus and Synd 500 plus, SyndJaiKisan, SyndVidyarthi, SyndSenior, SyndNivas Plus, SyndDriver etc., during the financial year 2006-07.

During the fiscal 2007, Bank organized several campaigns viz., one million account campaign, campaign for opening of 150 accounts per branch per month and Current Account Campaign etc., for expanding the customer base. The campaigns achieved resounding success and the customer base of the bank swelled to 19 million plus in 2006-07 compared to 17 million in 2005-06.

Giving due thrust to the concept of Financial Inclusion, the Bank has so far opened 4.96 lakh "no frills" SB accounts out of 8.76 lakh households in the selected villages and achieved 100% financial inclusion in 1552 villages. In order to extend the financial inclusion in the North Eastern Region of the country, the Bank expanded its branch network by opening branches in the States of Arunachal Pradesh (Itanagar), Mizoram (Aizawl) and Nagaland (Dimapur).

Priority Sector Advances of the bank grew by 26 percent to Rs. 18441 crore as at 30th March, 2007. Agricultural advances increased to Rs. 8050 crore from Rs. 5871 crore during the said period, registering an impressive growth of 37 percent.

The bank is rapidly expanding the CBS / ATM network. During the fiscal 2007, CBS was further extended to 979 branches in about 590 centres, thereby consolidating the overall CBS network of the bank to 1508 branches spread across 801 centres covering 90 percent of total business. The number of ATMs increased from 326 in 2005-06 to 701 in 2006-07. The global Debit-cum-ATM card base of the Bank is over 14 lakhs. The Bank has issued 53,860 Credit Cards as on 31-03-2007.

The Bank won the Asian Banker IT implementation Award 2006 for Best Core Banking Project for Large Banks, a true testimony to the State of Art IT Architecture of the bank. The Bank also won a special award for use of IT for Customer Service in semi-urban and rural areas from IDRBT Hyderabad.

Other new technological initiatives undertaken by the bank during the year 2006-07 are Video Conferencing to conduct Executive meetings and SMS messaging for effective and instant communication and to reduce costs.

The Bank has obtained licenses to open Central Processing Units at Bangalore, Chennai, Delhi, Kolkata and Mumbai centres in order to improve asset quality with due diligence and for faster processing of housing loans.

The Bank has accorded top most priority to management of NPA level. To achieve this objective, a comprehensive system of credit monitoring and review of credit sanctions has been put in place. The recovery strategies adopted were sector specific with a view to provide required focus to achieve the set goals.

The total turnover in Forex segment stood at Rs. 5,94,983 crore as at 31st March, 2007 registering y-o-y growth of 22 percent. The profit on sale of investment was to the tune of Rs. 141 crore for the year ended 31st March, 2007 as against Rs. 133 crore earned in 2005-06.

जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंक की दृष्टि जोखिम प्रबंधन करने की क्षमताओं को विकसित करने की है ताकि जोखिम का सतत, दक्ष एवं प्रभावी ढंग से मूल्यांकन किया जा सके और बैंक के लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, सी आर मॉडल, पूंजी अभिकलन मॉडल और सीआर प्रबंधन निविदियों पर परामर्श के लिए क्रिसिल की सेवाएं ली गई हैं, ताकि बैंक बासेल II की अपेक्षाओं के अनुसार ऋण जोखिम प्रबंधन के मामले में आधारभूत और अग्रिम प्रस्तावों को पूरा कर सके।

बैंक सतत रूप से अपनी आस्ति देयता प्रबंधन प्रणाली को बेहतर स्वरूप प्रदान करने में लगा हुआ है ताकि न केवल इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके बल्कि यह बैंक के चलनिधि प्रबंधन और संवेदनशील ब्याज दर के प्रबंधन हेतु भी खास जरूरी है क्योंकि ये बाजार जोखिम के महत्वपूर्ण पहलू हैं।

बैंक ने बढ़ते हुए कारोबार विकास को ध्यान में रखकर संपूर्ण दृष्टि से विचार करते हुए एक व्यापक मानव संसाधन नीति को कार्यान्वित किया है। पदोन्नति नीति को अच्छी तरह से तैयार किया गया है जिसमें सर्वोत्कृष्ट निष्पादनकर्ताओं को पुरस्कृत करने की व्यवस्था है, साथ ही, यह उत्तराधिकार योजना को सुसाध्य बनाने में भी मददगार है।

बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2007 को 15 प्रतिशत के अंतरिम लाभांश के साथ 13 प्रतिशत के अंतिम लाभांश की घोषणा की है।

मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल के सदस्यों, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के लिए, हममें भरोसा तथा निष्ठा रखने के लिए सभी शेयरधारकों तथा सभी ग्राहकों को उनके निरंतर सहयोग एवं समर्थन हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस संगठन को मजबूत और गुंजायमान बनाने के लिए हमारे स्टाफ सदस्यों ने जो समर्पण पूर्ण सेवा, सहयोग और अपना सतत समर्थन प्रदान किया है, उसे हम अभिलेखित करते हैं।

सादर,

आपका

The Risk Management vision of the Bank is to develop capabilities in Risk Management so as to ensure a consistent, efficient, and effective assessment of risk in the achievement of bank's goals. The Bank has engaged CRISIL for providing consultancy for Credit Risk Management systems, providing CR models, Capital Computation Model and CR management inputs to enable the Bank to move towards Basic and Advanced approaches of Credit Risk Management under Basel II.

The Bank has been constantly endeavoring to fine-tune the ALM system to meet not only the RBI requirements but also the specific requirements of the Bank for managing liquidity and interest rate sensitivity, which are important facets of market risks.

The Bank has holistic HR Policy in operation, which has been geared to meet accelerated business development. The promotion policy has been fine tuned to reward outstanding performers and also facilitate succession planning.

The Board of Directors of the Bank has declared a Final Dividend of 13 percent with an Interim Dividend of 15 percent as on 31st March, 2007.

I would like to take this opportunity to thank the members of the Board, the Government of India and the Reserve Bank of India for their valuable guidance, all our shareholders for the confidence and faith they have reposed in us and all our customers for their continued co-operation and support. I would also like to place on record the support and involvement of our staff members for their dedicated service - and for their continued contribution in building a stronger and vibrant organization.

With regards,

Yours sincerely

Report Junction.com

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 18-5-2007

(सी.पी. स्वर्णकार)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Manipal
Date : 18-05-2007

(C. P. Swarnkar)
Chairman & Managing Director



Head Office: Manipal, 576 104
Your faithful & friendly financial partner

सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार 21 जून, 2007 को प्रातः 10.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल - 576 104, में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

- 31 मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए।
- वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए।
- निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने तथा उचित पाये जाने पर उसे संशोधन के साथ या संशोधन के बिना पारित करने के लिए।

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 और सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 के उपबंधों के अनुसरण करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैं.), भारत सरकार (जी.ओ.आइ.) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य कोई प्राधिकारी के अनुमोदन, अनुमति, मंजूरीयों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए तथा ऐसी शर्तों, निबंधनों तथा उसमें किए जानेवाले संशोधनों, जो ऐसे अनुमोदनों को मंजूर करने के लिए उनके द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं और जिस के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुआ, के अध्यक्षीन और भा.रि.बैं., सेबी तथा अन्य संगत प्राधिकारियों से समय-समय पर निर्दिष्ट किए जानेवाले विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए और उस स्टॉक एक्सचेंज में जहां बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीकरण करार के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने के अधीन बैंक के निदेशक मंडल, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मंडल" कहा गया है जिसमें वह समिति भी सम्मिलित समझी जाए जिसे मंडल ने गठित की हो या इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपने शक्तियों का प्रयोग करने हेतु इसके बाद गठित की जाती हो) को एतद्वारा अनुमति दी जाए और दी जाती है कि वे व्यक्तियों, कंपनियों, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आइ.आइ.), बैंकों, अर्हताप्राप्त संस्थागत त्रेताओं, कर्मचारियों, कर्मचारी न्यास (न्यासों) या अन्य निवेशकों को जो बैंक के शेयरधारक हों या न हों या उपर्युक्त किसी भी समुच्चय को जो बैंक द्वारा उचित समझे की प्रत्येक रु. 10/- की दर पर ईक्विटी शेयर जारी कर सकते हैं और उनका आबंटन कर सकते हैं जिसकी संख्या किसी भी हालत में 8,00,00,000 (आठ करोड़) से अधिक न हो और उसकी राशि रु. 80,00,00,000 (अस्सी करोड़ रुपये मात्र) से अधिक न हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि, ऐसे निर्गम, पेशकश, या आबंटन सार्वजनिक निर्गम के ज़रिए होगा और ऐसी पेशकश, निर्गम, तथा आबंटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के उपबंधों, सेबी के प्रचलित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार होगा और ऐसे निर्गम, पेशकश तथा आबंटन ऐसे समय या समयों पर ऐसी कीमत (प्रीमियम सहित) और ऐसी रीति और शर्तों एवं निबंधनों पर होगा जिसे मंडल अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित समझता है।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को यह प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह भारत सरकार/भा.रि.बैं./सेबी या ऐसे अन्य प्राधिकारियों द्वारा, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपने अनुमोदन, सहमति, मंजूरी देने/प्रदान करते समय उनके द्वारा अपेक्षा की जानेवाली या लागू किए जानेवाले तथा मंडल द्वारा यथा सहमत किसी भी संशोधनों को स्वीकार कर सकेगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि, एन.आर.आइ., एफ.आइ.आइ. को जारी किए जानेवाले और आबंटित किए जानेवाले नये ईक्विटी शेयर, यदि कोई हो, तो वह विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा।


आगे संकल्प किया जाता है कि उक्त नये ईक्विटी शेयरों को सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियम 1998 यथा संशोधित के अधीन जारी किया जाएगा और सभी मामलों में बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समान होगा और तत्समय प्रचलित सांविधिक दिशा निदेशों के अनुसार घोषित किए जानेवाले लाभांश यदि कोई हो, के लिए पात्र होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि इस विनियम को लागू करने के प्रयोजन हेतु मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए और किया जाता है कि वह ऐसे सभी कार्य, कृत्य, विषय कर सकेगा जो उसके अनन्य विवेकाधिकार से करना आवश्यक, उचित और वांछनीय हो और उक्त ईक्विटी शेयरों, के निर्गम के संबंध में उठनेवाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटान करने, अंतिम रूप देने तथा सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकेगा जो आवश्यक, वांछनीय या समुचित हो, ताकि आगे शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े या अंततः इस बात को प्राधिकृत समझा जाता है कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार के ज़रिए अभिव्यक्ततः इस पर अपना अनुमोदन दे दिया है।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य से मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए और प्राधिकृत किया जाता है कि वह आगे कोई सहमति या अनुमोदन के बिना अपने अनन्य विवेकाधिकार से, सभी प्रश्नों एवं कठिनाइयों का निपटान करने के लिए आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, विषय कर सकेगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए और किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्प को लागू करने के लिए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक को इसमें दिए गए सभी या किसी अधिकार का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

निदेशक मंडल के आदेश से


(सि.पी. स्वर्णकार)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल

दिनांक : 26-05-2007



Your faithful & friendly financial partner

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Eighth Annual General Meeting of the shareholder members of SyndicateBank will be held at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal – 576 104 on Thursday the 21st day of June, 2007 at 10.00 a.m. to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2007 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2006-07.
3. To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution.

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities Exchange Board of India (SEBI), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the Regulations/ guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to issue and allot such number of equity shares of Rs. 10/- each and in any case not exceeding 8,00,00,000 (Eight Crore) and aggregating to not more than Rs. 80,00,00,000 (Rupees Eighty Crore only) to persons like individuals, companies, FIs, Financial Institutions, Banks, Qualified Institutional Buyers, Employees, Employees' Trust(s) or other investors, or not and whether or not shareholders of the Bank or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank.

RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be through by way of Public Issue and that such offer, issue and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, SEBI Guidelines in force, and at such time or times at such price (including premium) and in such manner and on such terms and conditions as the Board may in its absolute discretion think fit.

RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/ SEBI or such other appropriate authorities at the time of according/ granting their approvals, consents, permissions and sanctions and as agreed to by the Board.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares if any, to NRIs, FIs, be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999.

RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Regulation, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things and to settle all questions and difficulties as it may, in its absolute discretion deem fit, without being required to seek any further consent or approval.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or Executive Director of the Bank to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors

(C. P. SWARNKAR)

Chairman & Managing Director

Place : Manipal

Date : 26-05-2007



नोट

NOTES

- (i) **प्रॉक्सी की नियुक्ति**
बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने के पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है। प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 16 जून, 2007 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।
- (ii) **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 16 जून, 2007 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं करता/ करती है।
- (iii) **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**
शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए।
- (iv) **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**
शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की रिपोर्ट और नोटिस की अपनी प्रति साथ में लाएं।
- (v) **लेखा विषयक सूचना**
शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे।
- (vi) **बही बंदी**
वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और लाभांश की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी गुरुवार 14 जून, 2007 से गुरुवार 21 जून, 2007 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।
- (vii) **लाभांश का भुगतान**
निदेशक मंडल द्वारा यथा प्रस्तावित अंतिम लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को जिनके पास फिजिकल फार्म में शेयर हैं और जिनके नाम बैंक के शेयरधारक/सदस्यों के रजिस्टर में गुरुवार 21 जून, 2007 तक दर्ज हैं और बेकागजीकृत रूप से शेयरधारकों के मामले में लाभांश, डिपॉजिटरी द्वारा कारोबार की समाप्ति अर्थात् बुधवार 13 जून, 2007 को हिताधिकारी स्वामी की सूचना के अनुसार लाभांश वारंट वार्षिक आम बैठक के 30 दिन के अंदर डाक से भेजे जाएंगे/जमा कर दिए जाएंगे।

(i) APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the Bank at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday the 16th June 2007.

(ii) APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting, i.e., on or before the closing hours of Saturday the 16th June 2007.

(iii) ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

(iv) COPIES OF ANNUAL REPORT

Shareholders/ Proxy holders/representatives are requested to bring their copies of the Annual Report and notice to the Annual General Meeting.

(v) INFORMATION ON THE ACCOUNTS

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

(vi) BOOK CLOSURE

The Register of shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Thursday the 14th June 2007 to Thursday the 21st June 2007 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend.

(vii) PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of final dividend to shareholders as proposed by the Board of Directors shall be paid to those shareholders holding shares in physical form, whose names appear on the Register of Members/ Shareholders of the Bank as on Thursday the 21st June 2007 and in respect of shares held in dematerialised form the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership as per details to be furnished by the depositories as at the end of business on Wednesday the 13th June 2007 and the dividend warrants shall be mailed / credited within 30 days from the date of Annual General Meeting.

(viii) **लाभांश हेतु बैंक अधिदेश या इलेक्ट्रॉनिक समागोहन सेवा (ई सी एस):**

क) शेयरधारकों से अपेक्षित है कि वे जहाँ पर अपने लाभांश वारंटों को जमा करना चाहते हों, उस बैंक का नाम, शाखा का नाम, स्थान एवं खाता संख्या का उल्लेख करें। ये सूचनाएं लाभांश वारंट के चेक हिस्से में शेयरधारक के नाम के साथ मुद्रित की जाएंगी ताकि लाभांश वारंट का कपटपूर्ण नकदीकरण करना से बचा जा सके। उपर्युक्त विवरण प्रथम/ एकमात्र धारक द्वारा फोलियो संख्या, धारित शेयरों की संख्या, धारिता संबंधी ब्यौरे आदि बताते हुए सीधे हैदराबाद स्थित रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

ख) बैंक, विनिर्दिष्ट शहरों में रहनेवाले शेयरधारकों को ई.सी.एस. की सुविधा प्रदान कर रहा है। लाभांशों को जमा करवाने के लिए, शेयरधारक बैंक अधिदेश प्रणाली के बदले में इस सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं। विकल्प फार्म इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(ix) **अंतरण**

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए।

(x) **पते में परिवर्तन**

क) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वा कम्प्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड

यूनिट: सिंडिकेटेड बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24

विठ्ठलराव नगर, माधपुर

हैदराबाद - 500 081

ख) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे कि पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें।

(xi) **बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डिमाट) अनिवार्य शेयर व्यापार**
भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को भेजे जाएं।

(xii) **फोलियो का समेकन**

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयरधारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयर पूंजियों को एक ही पूंजी के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

(xiii) **तुलन-पत्र की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी, अतएव सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियां साथ ले आए जो उनके पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा उनको डाक से भेजी गयी हैं।

(viii) **BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR ELECTRONIC CLEARING SERVICE (ECS)**

a) The shareholders are required to furnish their Bank Account number, the name of the Bank and the Branch where they would like to deposit the Dividend warrants for encashment. These particulars will be printed on the cheque portion of Dividend warrants, besides the name of the shareholders so as to avoid fraudulent encashment of warrants. The above mentioned details should be furnished by the first/sole shareholder directly to the Registrar & Transfer Agent at Hyderabad, quoting the folio number, number of shares held, details of the holdings etc.

b) The Bank is also offering the facility of ECS for shareholders residing in specified cities. This facility could be used by the shareholder instead of Bank Mandate system for receiving the credit of dividend. Option Form is annexed to this report.

(ix) **TRANSFERS**

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Transfer Agent for transfer.

(x) **CHANGE OF ADDRESS**

a) **Holding of shares in Physical Forms**

Shareholders' holding shares in physical forms are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s. Karvy Computershare (P) Ltd.,

Unit: Syndicate Bank

Plot No. 17 to 24,

Vithalrao Nagar, Madhapur

HYDERABAD - 500 081

b) **Holding of shares in Electronic Form**

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, branch and bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE THEREFORE REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

(xi) **COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM:**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

(xii) **CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

(xiii) **COPIES OF BALANCE SHEET**

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses.

(xiv) अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि बैठक में कोई उपहार/ कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

(xv) निवेशक संपर्क केन्द्र

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने नैगम कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क विभाग खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

कंपनी सचिव

निवेशक संपर्क केन्द्र

सिंडिकेटबैंक, नैगम कार्यालय

गांधीनगर, बेंगलूर - 560 009

दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030

ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (General)

निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

(xiv) OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/ coupon will be distributed at the meeting.

(xv) INVESTOR RELATIONS CENTRE

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, SyndicateBank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bangalore. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance.

The Company Secretary

Investor Relations Centre

SyndicateBank - Corporate Office

Gandhinagar

BANGALORE - 560 009

Tel 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030

E-mail : inrc@syndicatebank.co.in (General)

Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

व्याख्यात्मक कथन

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के उपबंधों, भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार और उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गये सूचीकरण करार, जहाँ बैंक के शेयरों का सूचीकरण किया गया है के अनुसार और बैंक के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से और बैंक के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को मजबूत बनाने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने यह निर्णय लिया है कि व्यक्तियों/कंपनियों/एफ.आइ.आइ./वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं/कर्मचारियों/कर्मचारी न्यास (न्यासों) या अन्य निवेशकों चाहे भारत के निवासी हों या न हों और बैंक के शेयरधारक हों या न हों, को प्रत्येक रु. 10/- मूल्य के रु. 80,00,00,000/- (अस्सी करोड़ रुपए मात्र) के 8,00,00,000 (आठ करोड़) शेयर जारी, पेश, आबंटित करके बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी में वृद्धि की जाए।

उपर्युक्त निर्गम पूरा होने के बाद बैंक की प्रदत्त पूंजी बढ़कर रु. 601.97 करोड़ हो जाएगी और केन्द्र सरकार द्वारा धारित पूंजी घटकर निर्गमोत्तर पूंजी के 57.63% हो जाएगी।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2बी) (सी) के अनुसार बैंक अपनी प्रदत्त पूंजी में उचित प्रीमियम के साथ रु. 80 करोड़ की वृद्धि करने के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है।

सेबी के निदेशों के अनुसार, इस प्रस्ताव के अनुसार जारी किए जानेवाले नये शेयर, सभी मामलों में बैंक के वर्तमान शेयरों के बराबर होंगे जिसमें सार्वजनिक निर्गम से जारी किए जानेवाले इक्विटी शेयरों के आबंटन के बाद बैंक द्वारा घोषित किए जानेवाले लाभंश यदि कोई हो, भी शामिल होंगे।

उपर्युक्त नोटिस की मद सं. 3 में दिए गए संकल्प का उद्देश्य, बैंक के इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना है।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प में हित नहीं है, सिवाय उस सीमा तक जितनी उनकी बैंक में शेयरधारिता है।



स्थान : मणिपाल

दिनांक : 26-05-2007

(सी. पी. स्वर्णकार)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Manipal

Date : 26-05-2007



(C. P. SWARNKAR)

Chairman & Managing Director